


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद ।
(जिला पंचायत शाखा)

—: आम सूचना:—

निदेशक, पंचायत राज विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1966 दिनांक 11.10.2021 के निदेशानुसार एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-395 दिनांक 19.02.2021 के आलोक में 15वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा, अनुबंध पर प्राप्त करने हेतु रिक्ति के अनुरूप अभ्यर्थियों की कोटिवार तीन गुणा प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की गयी है। जिसे (NIC), धनबाद के अधिकारिक वेबसाईट www.dhanbad.nic.in पर प्रकाशनार्थ अपलोड किया गया है। इसे धनबाद के उपरोक्त वेबसाईट पर अवलोकन किया जा सकता है। अपनी अभ्यर्थिता से संबंधित दावा/आपत्ति दिनांक17.11.2021.....तक व्यक्तिगत तौर पर लिखित रूप से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय को कार्यावधि में समर्पित किया जा सकता है।


उपायुक्त,
धनबाद ।